न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या : 79/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO : 2023/61

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहित बंदवाल साहू पिता स्व. हीरालाल मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर नमुनीकर की जगह पुलिस थाना, धानमण्डी उदयपुर स्थाई पता म.न. 5, जैन बॉर्डिंग स्कूल के सामने, धानमण्डी उदयपुर मो.न. 8854969428

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह टांक विपक्षी सं. 1।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 29.07.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 22.08.2023 को दोपहर 6.30 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर नमुनीकर की जगह पुलिस थाना, धानमण्डी उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री मोहित बंदवाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

थानाधिकारी धानमण्डी उदयपुर द्वारा दूरभाष पर प्राप्त संदेश एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार धानमण्डी थाना उदयपुर पर (राज.) खाद्य दल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विकेता की दुकान पर घी, तेल आदि आम. जनता को बिकी करने का कार्य किया जाता है। थाने पर 4 टिन (पिपे) 15 किलोग्राम घी के रखे पाये गये अवलोकन करने पर एक पिपा Loose पाया गया जिस पर कोई लेबल नहीं था। पूछने पर स्वंय का घी होना बताया। जो आम जनता को बिकी वास्ते रखा। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम (Loose) घी वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा घी की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 200 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 800ग्राम घी को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारो मे बराबर मात्रा (प्रत्येक मे करीब 200 ग्राम) मे भरकर इनका फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जारों को मोटै व मजबूत कागज में लेपेटकर कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। नमूना पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2389** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8631 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/697/एक्ट/2023/697 दिनांक 31.08.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 48.9 nD=1.45869 पाया गया, Reichert value 24.0 min होना चाहिए था कि जगह 14.17 पाया गया, saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 198.81 पाया गया एवं Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.29 पाया गया, Test for sesame oil should be negative होना चाहिए था कि जगह Positive पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8632 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/9672 दिनांक 19.10.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। आरोपी का टर्नआवर 12 लाख रूपये वार्षिक से कम है। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु आरोपी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 22.8.2023 को कोई व्यक्ति दुकान पर आया और अपने आप को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर नाम पता पुछा व दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवाकर चला गया। दुकान का कोई मौका मुआयना नहीं किया एवं नही कोई घी का सेम्पल लिया। न तो कोई नक्शा मौका बनाया न कोई सेम्पल लिये और न ही कोई रसीद दी। न ही हस्ताक्षरशुदा कागजों पर कोइ ईबारत लिखी व किसी भी गवाह के मौके पर विपक्षी के समक्ष हस्ताक्षर कराये। उक्त व्यक्ति द्वारा विपक्षी की दुकान से 200 रुपया का कोई घी खरीद नही किया है और न घी के विक्रय की कोई रसीद ही विपक्षी द्वारा जारी की गई है। जहां तक विपक्षी के यहां जो घी मिलता है उक्त घी की कीमत 500रू प्रति लीटर से अधिक है। विपक्षी अपने प्रतिष्ठान से घी खरीदने वाले केताओं को इन्वोईस/ बिल देता है। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षी के हस्ताक्षरों वाले खाली फार्म का दूरूपयोग किया है तथा कुटरचना की है। जब कोई कार्यवाही नहीं की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

गई है तो कोई दोष एवं अपराध साबित नहीं होने से प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध कोई दाद प्रापत करने का अधिकारी नहीं है जिससे विपक्षी के विरूद्ध कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जिससे विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अन्य कोई दाद श्रीमान उचित व न्याय संगत समझे, विपक्षी को प्रार्थी से दिलाई जावे। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी अपना गलती छुपाने के लिए मनगढंत कहानी कह रहा है, सेम्पल की कार्यवाही हुई पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी के खिलाफ एफ.आई.आर हुई। ऐसे ही कोई खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। नियमानुसार सेम्पल की पुरी प्रकिया अपानाई गई। बचने के लिए झुठ बोल रहा है अतः अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। आरोपी द्वारा अपनी बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि पुरी कार्यवाही पुलिस थाना धानमण्डी में की गई। डब्बे सील पेक थे जिन्हे खोलकर लुस बताया गया हैं सेम्पल कस्टी में लिया गया। एफआईआर दर्ज की है जबकि अनसैफ में एफआईआर दर्ज होती है। सेम्पल लिया जबकि कोई पैसे नहीं दिये। दोनो जगह कार्यवाही नहीं हो सकती । सेम्पल सबस्टैण्डर्ड आया है नकली का आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। एक ही खाद्य पदार्थ के दो मुकदमें बना कर दो परिवाद पेश किये है राशि भी अलग–अलग बताई है। विपक्षी के पिता नहीं है आर्थिक स्थिति खराब है । अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा बताया कि थानाधिकारी धानमण्डी उदयपुर द्वारा दूरभाष पर प्राप्त संदेश एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार धानमण्डी थाना उदयपुर पर मय खाद्य दल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर घी, तेल आदि आम जनता को बिक्री करने का कार्य किया जाता है। थाने पर 4 टिन (पिपे) 15 किलोग्राम घी के रखे पाये गये अवलोकन करने पर एक पिपा Loose पाया गया जिस पर कोई लेबल नहीं था। पूछने पर स्वंय का घी होना बताया। जो आम जनता को बिक्री वास्ते रखा। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम (Loose) घी वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह**

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

48.9 nD=1.45869 पाया गया, **Reichert value 24.0 min** होना चाहिए था कि जगह **14.17** पाया गया, **saponification value 205-235** होना चाहिए था कि जगह **198.81** पाया गया एवं **Iodine value 25-38** होना चाहिए था कि जगह **52.29** पाया गया, **Test for sesame oil should be negative** होना चाहिए था कि जगह **Positive** पाया गया।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹2,00,000/– अक्षरे रूपया दो लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते